रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112024-258594 CG-DL-E-12112024-258594

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4514]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2024/कार्तिक 21, 1946

No. 4514]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2024/KARTIKA 21, 1946

# वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2024

का.आ. 4895(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड" (पैन: AAALP0582E) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के तहत गठित एक बोर्ड, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसुचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के अंतर्गत गठित बोर्ड बना रहे।

[अधिसूचना सं. 118/2024/फा. सं. 300195/12/2024-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-।)

7298 GI/2024 (1)

### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

#### (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2024

- **S.O. 4895(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as "the Income-tax Act"), the Central Government hereby notifies the "Petroleum and Natural Gas Regulatory Board" (PAN: AAALP0582E) (hereinafter referred to as "the assessee"), a board constituted under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006) for the purposes of the said clause.
- 2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be a board constituted under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 118/2024/F. No. 300195/12/2024-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director, ITA-I